न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 118/2019

1 भंवरी उम्र 52 साल पत्नी मनीष पुत्री पन्नालाल जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

अपीलांट

बनाम

1 गीता पत्नी पन्नालाल समस्त जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू 'मृतका'

2 जगदीश उम्र व्यस्क पुत्र पन्नालाल

3 रणवीर उम्र व्यस्क पुत्र पन्नालाल समस्त जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

4 मन्जु उम्र व्यस्क पत्नी गोपी पुत्री पन्नालाल जाति कुमावत निवासी गोठ्या तहसील सूरजगढ़ जिला चुरू।

5 सोहनलाल उम्र व्यस्क पुत्र रामजीया उर्फ रामजीलाल

6 रतनलाल उम्र व्यस्क पुत्र रामजीया उर्फ रामजीलाल समस्त जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

7 मृतक स्योदत उम्र व्यस्क पुत्र जयदेव जाति महाजन निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू 'नोट– दौराने अपील दिनांक 26.12.2021 को देहान्त हो गया।'

7/1 शकुन्तला पत्नी श्योदत

7/2 प्रमोद पुत्र श्योदत

7/3 वेदप्रकाश पुत्र श्योदत

7/4 गायत्री पुत्री श्योदत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7/5 मधु पुत्री श्योदत जाति महाजन निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8 माणकाराम पुत्र नारायणाराम
9 सोहन पुत्र नारायणाराम
10 रूपा पुत्र नारायणाराम समस्त जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
11 तोला पुत्र पूर्णाराम
12 हरलाल पुत्र पूर्णाराम
13 मोहर सिंह पुत्र पूर्णाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
14 कानाराम पुत्र पीरू
15 पैमाराम पुत्र पीरू
16 रतन पुत्र पीरू जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
17 किसना पुत्र चुन्नीलाल जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू । मृतक
17/1 जसकरण पुत्र स्व. किसनाराम
17/2 ताराचन्द पुत्र स्व. किसनाराम
17/3 सुरेन्द्र पुत्र स्व. किसनाराम
17/4 प्रहलाद पुत्र स्व. किसनाराम
17/5 कानाराम पुत्र स्व. किसनाराम
17/6 रमेश पुत्र स्व. किसनाराम जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
17/7 आशाराम पुत्र स्व. किसनाराम
17/8 महावीर पुत्र स्व. किसनाराम जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
17/9 लिछमा पुत्री स्व. किसनाराम पत्नी मंगतुराम जाति खाती निवासी पंचदेव मन्दिर के पास में झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

17/10 किरण पुत्री स्व. किसनाराम पत्नी परसोतम जांगिड़ जाति खाती निवासी रोड़वेज बस स्टेण्ड के पास चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
18 गोर्वधन पुत्र चुन्नीलाल
19 पूर्णा पुत्र चुन्नीलाल जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
20 रूपा पुत्र नारायणाराम जाति खाती निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
21 वृक्षराज पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
22 सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू।
23 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जरिये मैनेजर।

रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी
भंवरी बनाम गीता वगै. मु.नं. 45/2015
निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 45/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एक वाद घोषणा, बेदखली, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के विपरित जाकर अपीलार्थीया का दावा खारिज किया है। विचारण न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नही है। अपीलार्थीया अपने खेत में पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 708 व 707 मौके पर काश्त हो रहे है उसके बावजूद भी उसे सघन आबादी मानने में गलती कानूनी की है। वादी में वर्णित भूमि सम्वत 1999 से काश्त की भूमि है लगान नियत है तथा उक्त भूमि पर बैंक से ऋण ले रखा है उसके बावजूद भी विचारण न्यायलाय ने अपीलार्थीया का दावा खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष जे.पी.एस. मशीन द्वारा नपती की हुई खेत खसरा नम्बर 707, 708 दर्शाये गये है उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीया का दावा खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय का आदेश सद्भाव दर्शित करता हुआ नहीं है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के हिस्से बाबत अपीलार्थीया न दावा किया था। जो दावा आत्यन्तिक रूप से राजस्व न्यायालय में ही चलेगा। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीया का दावा आदेश

...अधिकारी एवं
...राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

07 नियम 11 में खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। सिविल न्यायालय ने उक्त दावा किसी भी स्थिति में नहीं चल सकता। विचारण न्यायालय ने ना तो निर्णय पारित करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। ना ही कानून की मंशा को ध्यान में रखा। खातेदारी की भूमि में अपीलार्थीया ने अपना हिससा बाबत दावा पेश किया था। जो राजस्व न्यायालय में ही चलेगा फिर भी विचारण न्यायालय ने दावा खारिज करने में गलती कानून की है। विचारण न्यायालय का निर्णय की तारीफ में नहीं आता उक्त निर्णय पत्रावली व रिकार्ड के विपरित है इसलिये काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीया के दावा को व दस्तावेजात का कोई विश्लेषण नहीं किया तथा ना ही उक्त भूमि के खसरा नम्बरों का उल्लेख किया। विचारण न्यायालय का निर्णय आरम्भिक रूप से कानूनी की मंशा के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2024(1) पेज 631, आरआरटी 2023(2) पेज 1291, आरआरटी 2023(2) पेज 1127 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि इस वाद में मुख्य बिन्दु देखने लायक यह है कि क्या विवादित भूमि वास्तव में आबादी भूमि है या कृषि भूमि है। क्या इस वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों में तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर संघन आबादी होने के कारण जमीन को जी.पी.एस. से माप नहीं किया जाना उल्लेखित किया है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में अवश्य दर्ज है किन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि संपूर्ण रकबे पर सघन आबादी बसी हुई है। ऐसी स्थिति में इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। विचारण न्यायालय ने इसे दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में मुख्य बिन्दु देखने लायक यह है कि क्या विवादित भूमि वास्तव में आबादी भूमि है या कृषि भूमि है। क्या इस वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों में तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर संघन आबादी होने के कारण जमीन को जी.पी.एस. से माप नहीं किया जाना उल्लेखित किया है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में अवश्य दर्ज है किन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि संपूर्ण रकबे पर सघन आबादी बसी हुई है। ऐसी स्थिति में इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। विचारण न्यायालय ने इसे दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है चूंकि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है एवं मौके पर सघन आबादी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अनुसार धारा 177 की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर